संख्याः —— /XII(1)/2016—92(22)/2014

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग—1 देहरादून दिनाँकः 08 जून ~~मई~~, 2016

विषयः समस्त जनपदों के विभिन्न विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का जॉबचार्ट/कर्तव्य सूची का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 252/XII(1)/2016—92(22)/2014 दिनांक 02.02.2015, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश, पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा 25(क) के अन्तर्गत राज्य के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उनकी तैनाती की ग्राम पंचायतों में सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत करते हुए उक्त अधिनियम, 1947 की धारा 25(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज को अधिकृत किया गया था, जिसके अनुपालन में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्याः 78/1—पं०/स्था०—60/2014—15 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का जॉबचार्ट निर्गत किया गया।

2— उपरोक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा जारी कर्तव्य सूची में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश, पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा 25(ख) के तहत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कर्तव्यों (जॉबचार्ट) का निर्धारण **संलग्न परिशिष्ट ''क''** के अनुसार किया जाता है। उक्त आदेश का विकासखण्ड स्तर पर शत—प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

JD Rr

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून 13/6/2016

संख्याः 1122/XII(1)2016—92(22)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
4. निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड के अनुपालनार्थ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कर्तव्य सूची का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एसोसियेशन, अधोईवाला, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

14/6

1400 16/6/16

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

संख्याः 1122/XII(1)2016–92(22)/2014, दिनांक 08 मई, 2016

कर्तव्य सूची/जॉबचार्ट

परिशिष्ट ''क''

(1)	ग्राम पंचायतों के सचिव के रूप में कार्य करना।
(2)	अधिनियम की धारा 11, 12 (ख) व धारा–29 तथा तद्सम्बन्धी नियमों के अधीन ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठकों व ग्राम पंचायतों में गठित समितियों की बैठकों का आयोजन कर पारित प्रस्तावों का कियान्वयन सुनिश्चित करना।
(3)	अधिनियम की धारा–41 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए वार्षिक आय–व्यय का अनुमान/बजट तैयार कराने तथा ग्राम सभा बैठक में प्रतिवर्ष बजट का अनुमोदन कराना व पंचायत क्षेत्र के समेकित विकास के लिए स्थानीय समस्याओं, आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुरूप वार्षिक योजनान्तर्गत (धारा–15 'क') तथा यथा–आवश्यक दीर्घकालीन योजनायें बनाने की कार्यवाही करना।
(4)	ग्राम निधि का लेखा–जोखा रखना तथा अंकेक्षण (ऑडिट) कराना, ग्राम निधि के समस्त खातों का प्रधान के साथ सचिव के रूप में संयुक्त रूप से परिचालन करना, ग्राम पंचायतों की होने वाली विभिन्न मदों से आय एवं प्राप्त शासकीय अनुदानों की धनराशियों को निर्धारित ढंग से व्यय विवरण नियमानुसार रखने की कार्यवाही करना।
(5)	ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यो पर नियंत्रण रखना।
(6)	ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों के कर्मियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव करना।
(7)	ग्राम पंचायतों में रक्षित समस्त अभिलेखों का निर्धारित प्रकियानुसार समुचित रख–रखाव करना।
(8)	ग्राम पंचायतों का परिवार रजिस्टर बनाना और उसे अद्यतन रखना एवं जन्म– मृत्यु रजिस्टर के रूप में कार्य करना
(9)	राष्ट्रीय कार्यकमों का सम्पादन, सहयोग एवं समन्वयन व अन्य कार्य जो पंचायतीराज अधिनियम/नियमों में संशोधन उपरान्त शासकीय आदेशों के द्वारा सौंपे जाएः– राष्ट्रीय कार्यकमों के मार्ग–निर्देशों के अनुरूप योजनाओं/पात्र लाभार्थियों का चयन कर यथावश्यक ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर तद्नुरूप कियान्वित करना व पर्यवेक्षण/सत्यापन करना व उपर्युक्तानुसार अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन में विभागों के अधिकारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त करना।
(10)	विभिन्न कार्यकमों के कियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
(11)	ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों सरकारी अर्द्ध सरकारी एवं सहकारी अवस्थापना सुविधाओं एवं परिसम्पत्तियों की सूची तैयार (रिसोर्स मैंपिग) करना।
(12)	ग्राम सभा क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग, भवन तथा अन्य सम्पत्तियों की देखभाल, अनुरक्षण तथा अतिकमणों के हटाने की कार्यवाही करना।
(13)	पंचायतों के धरोहर तथा स्टॉक–रजिस्टर की निर्धारित रूपपत्र पर रखे जाने की कार्यवाही करना।
(14)	ग्राम पंचायतों के कर निर्धारण तथा वसूली से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा तद्सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख रखना।

(15)	अधिनियम की धारा–15 समावेशित कृत्यों का सम्पादन करना।
(16)	पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों, उपनिर्वाचनों तथा अविश्वास प्रस्तावों के कार्यो में सहयो ग्राम सभाओं की मतदाता सूचियों के तैयार करने एवं उनके संशोधन का कार्य करना तथा जनगणना कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
(17)	पंचायतों को सक्रमित की जाने वाली धनराशि यथा राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग–क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत अंश का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा क्षेत्र पंचायतों हेतु क्षेत्र पंचायत विकास निधि एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं का कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण।
(18)	राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर०जी०पी०एस०ए०) के अन्तर्गत अवस्थापना संबंधी कार्यो का निर्माण/अनुरक्षण करना।
(19)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना।
(20)	ई–पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयरों पर कार्य।
(21)	विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु निर्धारित किये गये प्रगति प्रतिवेदनों का समय से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्तर पर प्रेषण सुनिश्चित करना।
(22)	विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों एवं पंचायत से सम्बन्धी अन्य विषयों के बारे में शासन द्वारा जारी आदेशों तथा मार्ग निर्देशों की गार्ड फाईल बनाकर सुव्यवस्थित रूप से रखना।
(23)	ग्राम पंचायत की जल–प्रबन्धन समिति के माध्यम से जल–उपभोक्ता समूहों का गठन और उनके कार्यो के सम्पादन में सहायता प्रदान करना।
(24)	ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु हाट–बाजार, मेलों का आयोजन और उनमें अवस्थापकीय सुविधाओं का सृजन कराने में सहायता करना एवं ग्राम सभा क्षेत्रों में लगने वाले पशु मेला की व्यवस्था तथा सुधार के लिए कार्य करना।
(25)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में सरकारी सस्ता गल्ला वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना।
(26)	स्कूल आहार एवं पूरक पुष्टाहार कार्यक्रमों के प्रबन्धन का सत्यापन एवं आगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, महिला मंगल दल, मातृत्व एवं बाल कल्याण–बालिका समृद्धि योजना आदि के कार्यक्रमों के शासनादेशों के अनुरूप कार्यान्वयन में सहायता करना।
(27)	समाज कल्याण के अन्तर्गत शासनादेशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायता करना।
(28)	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को सूचित करना एवं शिकायत पंजिका रखना।
(29)	गॉव में राष्ट्रीय पर्वो पर सभाएं आयोजित करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के उत्थान हेतु शासनादेशों के अनुरूप कार्य करना। पंचायतों के सुदृढीकरण के लिए विभिन्न कोष्ठियों/बैठकों के आयोजन आदि की व्यवस्था में सहायोग देना और निर्णयों का कियान्वयन सुनिश्चित करना।